

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार 26 दिसम्बर, 2007 ई0 पौष 05, 1929 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण विभाग अनुमाग—3

संख्या 1166/XVII(I)-3/7-36(स0क0)/2002 देहरादून, 26 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

प0 आ0-205

वक्फ अधिनियम,1995 (अधिनियम संख्या:43 वर्ष 1995) की धारा 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह के लिये, उत्तराखण्ड वक्फ् बोर्ड को अधिकमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिनियम की उक्त धारा 99 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल, यह भी निदेश देते हैं कि अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से —

- (क) उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के समस्त सदस्य अपने पदों को रिक्त कर देंगे;
- (ख) अधिकान्त अवधि में बोर्ड की समस्त शक्तियों ओर कर्तव्यों का निर्वहन जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा सम्पादित किया जायेगा;

- (ग) अधिकान्त अवधि में बोर्ड की समस्त सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो जायेगीः और
- (घ) जनिहत में, वक्फ दरगाह कलियर शरीफ, रुड़की (हरिद्वार) से सम्बन्धित सभी कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग हेतु जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रशासक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

विनीता कुमार, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1166 /XVII(I)-3/7-36 (२०००)/2002 dated 26 December, 2007 for general information.

No. 1166 /XVII(I)-3/7-36(刊の年の) / 2002 Dehradun: Dated: 26 December, 2007

Notification

In exercise of the powers conferred by section 99 of the Wakf Act, 1995 (Act No.43 of 1995), the Governor is pleased to accord sanction to the supersession of the Uttarakhand Wakf Board for a period of six months with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

The Governor, under sub section (2) of section 99 of the said Act, is also pleased to direct that with effect from the date of publication of this Notification:-

- (a) all the members of the Uttarakhand Wakf Board shall vacate their offices;
- (b) during the period of supersession all the powers and duties of the Board shall be exercised and performed by the District Magistrate, Dehradun;



- (c) during the period of supersession, all the property of the Board shall vest in the State Government; and
- (d) in the public interest, appoint the District Magistrate, Haridwar as the Administrator of the Wakf Dargah Kaliyar Shareef, Roorkee (Haridwar) for exercising all the powers and performing all the duties relating thereto.

By Order,
VINITA KUMAR,
Principal Secretary.